भारत सरकार

विधि और न्याय मं?ालय

विधायी विभाग

सरकार की नीतिय?और काय? म?का विधायी नि?पण

2015

विषय-व□तु

अ□याय 1..... 3

1. **पृ□ठभूमि**..... 3
2. **संगठना□मक गठन**..... 3
3. **कृ□य**..... 4
   - 3.4 राजभाषा खंड..... 6
   - 3.5 विधि साहि?य ?काशन..... 6
4. **विधान**..... 6
5. **विधायी □ा□पण म □शि□ ण**..... 8
   - 5.2 वि.?ा.अ.सं. को आईएसओ ?माणन..... 8
   - 5.3 वि.?ा.अ.सं. ?वारा संचालित पा?य? म..... 8
6. **निवाचन**..... 9
7. **हि□दी और अ□य □`□ीय भाषाओं का संवधन और □सार**..... 11

अ□याय 2..... 13

8. **विधायी विभाग की मह□वपूण□उपल□धियां**..... 13
   - 8.1 संस? ?वारा अधिनियमित विधेयक..... 13
   - 8.2 संविधान के अनु?छेद 123 के अधीन ??यापित अ?यादेश..... 14
   - 8.3 रा??पति की सहमति ?ा?त करने के लिए अ?यादेश..... 14
   - 8.4 संस? म?लंबित विधेयक..... 15
   - 8.5 रा??पति की सहमति ?ा?त करने के लिए अ?यादेश/रा?य? के विधेयक..... 15
9. **अ□चलित विधिय□ का निरसन**..... 16
10. **पूव-विधायी परामश□नीति**..... 17
11. **विधायी □□ताव□ के निपटारे के लिए समय-सीमा**..... 17
    - मु?य विधान..... 17
    - अधीन?थ विधान..... 17
12. ?व?छता **अभियान**..... 18
13. ??प? **का सरलीकरण**..... 18

अ?याय 3 [आगामी काय?योजना]..... 19

14. **विधायी विभाग की भावी काय?योजना**..... 19

उपाबंध-1 (विषय-व□तु 2 से संबंधित) 21

उपाबंध-2 और 3 (विषय-व?तु 5 से संबंधित)..... 23-24

उपाबंध-4 (विषय-व?तु 7 से संबंधित) 25

अ?याय 1

पृ?ठभूमि और कृ?य

1. पृ?ठभूमि

1.1 विधायी विभाग, विधि और ?याय मं?ालय, 1833 से भी पहले का, जब चाटर अधिनियम, 1833 को ि?टिश संस? ?वारा अधिनियमित किया गया था, भारत सरकार का ?ाचीनतम अंग है । पहली बार उ?त अधिनियम ने एकल ?ाधिकारी म? अथात् सपरिष? गवनर जनरल म?विधायी श?ित निहित की थी । इस ?ाधिकार और भारतीय परिष? अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसम?निहित ?ाधिकार के आधार पर सपरिष? गवनर जनरल ने 1834 से 1920 तक देश के लिए विधियां अधिनियमित की थीं । तारीख 8 फरवरी, 1869 के संक?प ?वारा त?कालीन वि?यमान गृह कायालय और विधायी विभाग के बीच संबंध पृथक् हो गया था और विधायी विभाग जो गृह कायालय की एक शाखा थी, 10 फरवरी, 1869 से एक पृथक् विभाग बन गया था ।

1.2 भारत सरकार अधिनियम, 1919 के ?ारंभ के प?चात्, विधायी श?ित उसके अधीन गठित भारतीय विधान-मंडल ?वारा ?योग की गई थी । भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया । भारतीय ?वतं?ता अधिनियम, 1947 के पारित किए जाने के साथ ही भारत एक अधि?` बना और अधि?`? विधान-मंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश 1947 ?वारा यथानुकूलित भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंध? के अधीन, वष? 1947 से 1949 तक विधियां बना? । भारत के संविधान के अधीन, जो 26 जनवरी, 1950 को ?वृ? हुआ था, विधायी श?ित, संस? और रा?य विधान-मंडल म निहित है ।

2. **संगठना?मक गठन**

2.1 विधायी विभाग का धान, भारत सरकार का सचिव होता है । वह भारत सरकार के सभी विधायी कारबार के लिए मु य संसदीय परामश के प म काय करता है । वह मु य विधान से संबंधित ताव को अंतिम प देने के लिए उ रदायी है । उसकी विभि न तर के ऐसे अधिकारिय वारा सहायता की जाती है जिनम अपर सचिव, संयु त सचिव और विधायी परामश, अपर विधायी परामश, उप विधायी परामश और सहायक विधायी परामश स मलित ह। इन अधिकारिय की

भत्ते और सेवा की शर्तें भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 द्वारा विनियमित की जाती हैं।

2.2 विधायी विभाग में, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन सहित विधायी परामर्शियों, अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की मंजूर पद संख्या उपाबंध 1 के रूप में है ।

3. **कृत्य**

3.1 जहां तक संघ सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग, मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है । यह विभाग, विभिन्न प्रशासनिक विभागों और मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों पर सुगम तथा त्वरित रूप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करता है ।

3.2 भारत सरकार का एक सेवा-उन्मुख विभाग होने के कारण विधायी विभाग, निम्नलिखित विषयों से संबंधित है अर्थात् :-

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों के प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना ;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना और उनकी विधीक्षा करना, हिंदी में सभी विधेयकों का अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, पाठ, लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय को भेजना ; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूपण करना ; गैर-सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य है या नहीं ;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक, जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद और उसकी स्थायी /संयुक्त/ चयन समितियों की सहायता करना । इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उनको तैयार करने में सहायता करना ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना ;

(v) जिन राय म राति शासन ह, उनके संबंध म राति के अधिनियम के प मअधिनियमित किए जाने वाले विधान का ाप तैयार करना ;

(vi) राति वारा बनाए जाने वाले विनियम का ाप तैयार करना ;

(vii) सांविधानिक आदेश अथात् उन आदेश का ाप तैयार करना जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेित है ;

(viii) सभी कानूनी नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाओं, संकप, कीम आदि की संवीा और विधीा करना तथा हिदी म उनका अनुवाद करना ;

(ix) समवत ` के ऐसे राय विधान की संवीा करना, जिनके लिए संविधान के अधीन राति की अनुमति अपेित है ;

(x) संघ राय` के विधान-मंडल? ?वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधान? की संवी?ा करना ;

(xi) संस?, रा?य? और संघ रा?य?`?? के विधान-मंडल? और रा??पति तथा उप रा??पति के पद? के लिए निवाचन ;

(xii) संघ और रा?य?/संघ रा?य?`?? के विधान-मंडल? के बीच निवाचन? म? हुए ?यय का ?भाजन ;

(xiii) निवाचन आयोग और निवाचन सुधार ;

(xiv) लोक ?तिनिधि?व अधिनियम, 1950 ; लोक ?तिनिधि?व अधिनियम, 1951 ; निवाचन आयोग (निवाचन आयु?त सेवा-शतऔर कारबार का संयवहार) अधिनियम, 1991 का शासन ;

(xv) निवाचन आयोग (निवाचन आयुत सेवा-शत और कारबार का संयवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुय निवाचन आयुत और अय निवाचन आयुत से संबंधित विषय ;

(xvi) संसदीय और विधान सभा निवाचन ` के परिसीमन संबंधी मामले ;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवत सूची के अंतगत वीय विधिय, संपि अंतरण, संविदाओं, साय, सिविल िया आदि से संबंधित विषय पर विधान ;

(xviii) संघ/राय सरकार के अधिकारिय को विधायी ापण म शिण दान करना ;

(xix) संविधान, निवाचन निदशिका, के□□ीय अधिनियम□, अ□यादेश□ और विनियम□ का तथा हि□दी और संविधान की आठवीं अनुसूची म□ विनिदि□ट अ□य भाषाओं म□ उनके □ाधिकृत अनुवाद□ का □काशन करना और विधिक तथा कानूनी द□तावेज□ का भी अनुवाद करना ;

(xx) विधि प□िकाओं (जनलस) के □प म□ सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधिय□ से संबंधित मामल□ म□ उ□चतम □यायालय और उ□च □यायालय□ के चयनित निणय□ के हि□दी अनुवाद का □काशन करना ।

3.3 विधायी विभाग के नियं□णाधीन उसका कोई कानूनी या □वशासी निकाय नहीं है । इसके दो अ□य खंड ह□, अथात्, राजभाषा खंड और विधि साहि□य □काशन, जो विधि के □`□ म□ हि□दी और अ□य राजभाषाओं के □सार के लिए उ□रदायी है ।

3.4 विधायी विभाग का **राजभाषा खंड**, मानक विधि श□दावली तैयार करने और □काशित करने तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथा अपे□ित संस□ म□ पुरः□थापित किए जाने वाले सभी विधेयक□, सभी के□□ीय अधिनियम□, अ□यादेश□, अधीन□थ विधान□ आदि का हि□दी म□ अनुवाद करने के लिए भी उ□रदायी है । यह खंड □ाधिकृत पाठ (के□□ीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथा अपे□ित संविधान की आठवीं अनुसूची म□ यथा विनिदि□ट राजभाषाओं म□ संविधान, के□□ीय अधिनियम□, अ□यादेश□ आदि के अनुवाद की □यव□था करने के लिए भी उ□रदायी है । राजभाषा खंड हि□दी और अ□य □`□ीय भाषाओं□ के संवधन और □सार म□ लगे विभि□न रजि□□ीकृत गैर सरकारी संगठन□ और ऐसे संगठन□ को, जो सीधे विधिक साहि□य के □काशन और विधि के □`□ म□ हि□दी तथा अ□य भाषाओं के □सार म□ लगे है, सहायता अनुदान भी जारी करता है ।

3.5 **विधि साहि?य ?काशन**, □मुख □प से उ□चतम □यायालय और उ□च □यायालय□ के चयनित निणय□ के □ाधिकृत हि□दी पाठ □काशित करने से संब□ध है, जिसका उ□दे□य विधि के □`□ म□ हि□दी के □गामी □योग का संवधन करना है । विधि साहि□य □काशन हि□दी म□ विधि साहि□य के विभि□न □काशन निकालता है । हि□दी म□ उपल□ध विधि साहि□य के □यापक □चार और उनके वि□ य म□ अभिवृ□धि करने के लिए यह विभि□न रा□य□ म□ □दशनियां भी लगाता है ।

4. <u>**विधान**</u>

4.1 विधान, सरकार की नीति के विधायी नि□पण का एक मु□य साधन है । इस संदभ□ म□ विधायी विभाग उन नीति संबंधी उ□दे□य□ को पूरा करने म□ मु□य भूमिका

निभाता है, जिनको सरकार विधान के मायम से त करना चाहती है ।

(i) विधायी विभाग न केवल शासनिक मंालय और विभाग वारा आरंभ किए गए विधान के पण के लिए सेवाकारी विभाग के प म काय करता है बक यह उन विषय के संबंध म जिनसे वह शासनिक प से संबध है, विधायी ताव आरंभ करता है ।

(ii) विधायी विभाग, येक वष केीय सरकार के विीय ताव को भावी बनाने के लिए वि विधेयक का पण करने के लिए उरदायी है । सुविधा की ट से विभिन विषय को, जिन पर शासनिक मंालय/विभाग के लिए और उनकी ओर से विधायी विभाग म विधेयक के प तैयार किए जाते ह, मोटे तौर पर संविधान (संशोधन) विधेयक, सामाय विधेयक के प म जिनके अंतगत वि और विनियोग विधेयक भी है, वगकृत किया सकेगा ।

4.2 1 जून, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान इस विभाग म, संस म पुरःथापन के लिए विधेयक के पण हेतु विभिन मंालय/विभाग के परामश से मंिमंडल के लिए नए विधायी ताव से अंतवलित 125 टिपण की समी ा की है । 1 जून, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान पुरःथापित किए गए और संस के सम लंबित विधेयक म से 24 विधेयक, अधिनियम म अधिनियमित किए गए है । राीय यायिक नियुित आयोग अधिनियम, 2014 के साथ संविधान (नियानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 अभी हाल ही म अधिनियमित किए गए ह। इस अवधि के दौरान अधिनियमित किए गए अधिनियम की सूची अयाय 2 म दी गई है ।

4.3 उत अवधि के दौरान विभाग वारा तैयार किए गए अधीनथ विधायी ताव की संया 1657 है जिससे येक मास के औसत पर लगभग 230 ताव आते ह।

5. **विधायी ?ा?पण म??शि? ण**

<u>विधायी ?ा?पण और अनुसंधान सं?थान (वि.?ा.अ.सं.)</u>

?**थापित** : 1989		**आईएसओ** 9001 : 2008 ?**माणित सं**?**थान**

5.1 विधायी ापण केवल कला ही नहीं अपितुएक विया भी है और इसकी अपनी चुनौतियां ह। इसमसुनिचित तथा पट भाषा मविधान के ापण के लिए विशेषता की अपेा की जाती है । देश मशिित विधायी परामशिय की उपलधता मवृधि करने की ि से जनवरी, 1989 मविधि और याय मंालय के विधायी विभाग के एक खंड के प मविधायी ापण और अनुसंधान संथान (वि.ा.अ.सं.) की थापना की गई, जो विधायी ापण म सैधांतिक और यावहारिक शिण दे रहा है । यह देश मएकमा संथान है, जो विधायी ापण का शिण दान करता है ।

वि.?ा.अ.सं. का आईएसओ ?माणन

5.2 संथान म आईएसओ मानक के अनुसार काय निपादित करने हेतु वालिटी बंध णाली का पालन करने के लिए वि.ा.अ.सं. को 2 दिसंबर, 2013 को आईएसओ 9001 : 2008 माणन दान किया गया । विधायी विभाग की तिबधता के अनुसार, विभाग के परिणाम परेखा दतावेज (प..द.) मआईएसओ माणन के ति काय की पहल की गई थी ।

वि.?ा.अ.सं. ?वारा चलाए जाने वाले पा?य?म

5.3 वि.ा.अ.सं. वारा निनलिखित पायम चलाए जा रहे ह:

(i) राय सरकार/संघ रायॎ शासन के विधि अधिकारिय के लिए तीन मास की अवधि का विधायी ापण का बुनियादी पायम ;

(ii) कीय सरकार के विभिन ऐसे मंालय/विभाग/संबध कायालय/अधीनथ और वशासी निकाय, जो विधायी तावसे संबंधित काय करते हया जिनके विधायी ताव से संबंधित काय करने की संभावना है, के अधिकारिय के लिए 15 दिन की अवधि का मूयांकन पायम ;

(iii) ऐसे राय सरकार के, जहां विधेयक, अयादेश, नियम, विनियम आदि का ापण हिदी महोता है, विधि अधिकारिय के लिए एक

मास की अवधि का हिंदी में विधायी प्रारूपण का बुनियादी पाठ्यक्रम ;

(iv) विधायी विभाग के विधायी परामर्शियों के लाभ के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

5.4 वर्ष 2013-14 के दौरान, वि.प्रा.अ.सं. द्वारा पांच पाठ्यक्रम अर्थात् तीन मूल्यांकन पाठ्यक्रम (15वां, 16वां और 17वां मूल्यांकन पाठ्यक्रम) और 25वां और 26वां बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित किए गए । उपयुक्त अवधि के दौरान वि.प्रा.अ.सं. द्वारा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के 78 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

5.5 हाल ही में, वि.प्रा.अ.सं. ने 10 नवंबर, 2014 से 10 दिसंबर, 2014 तक विभिन्न राज्य सरकारों में विधायी प्रारूपण का कार्य करने वाले अधिकारियों के लाभ के लिए हिंदी में एक विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम आयोजित किया था । वि.प्रा.अ.सं. के अस्तित्व में आने के पश्चात् 25 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, हिंदी में विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया और देश में विधायी परामर्शियों के बंधुत्व के लिए उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं।

वर्ष 1989 से 2014 तक, अधिकारियों की भागीदारिता को वर्षवार और पाठ्यक्रमवार दो चार्ट (उपाबंध 2 और उपाबंध 3) में, प्रत्येक पाठ्यक्रम में उनकी भागीदारी की संख्या को दर्शाया गया है ।

5.6 वि.प्रा.अ.सं. ऐसे विधि छात्रों के लिए, जो विधि पाठ्यक्रम के चौथे या पांचवें वर्ष में अपना अध्ययन कर रहे हैं और विधायी प्रारूपण में गहरी रुचि रखते हैं, अंत:प्रशिक्षुता कार्यक्रम चलाता है ।

5.7 विधायी विभाग ने वर्ष 2011-12 के लिए पहला परिणाम रूपरेखा दस्तावेज तैयार किया था और उसे प्रस्तुत किया था । विभाग ने वर्ष 2011-12 में परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के अधीन अनुपालन के लिए 79.16 का संयुक्त स्कोर प्राप्त किया था । वर्ष 2013-14 के दौरान, 62.10 का संयुक्त स्कोर प्राप्त किया था । वर्ष 2014-15 का अनुपालन अभी मूल्यांकन के अधीन है ।

6. **निर्वाचन**

6.1 विधायी विभाग, संसद, राज्य विधान-मंडलों और राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन संचालित करने के संबंध में निम्नलिखित अधिनियमों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(ii) लोक □तिनिधि□व अधिनियम, 1951

(iii) रा□□पतीय और उपरा□□पतीय निवाच्चन अधिनियम, 1952

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002

6.2 □वतं□ता के प□चात् से ही, संविधान म□ □ति□थापित सि□धांत□ और भारत म□ निवाच्चन□ को शासित करने वाली विधिय□ के अनुसार □वतं□ और नि□प निवाच्चन आयोजित किए जा रहे ह□। संविधान ने संस□, विधान-मंडल□ और भारत के रा□□पति तथा उपरा□□पति के पद□ के निवाच्चन संचालित करने के अधी□ण, निदेशन और नियं□ण की संपूण□□ि□या निवाच्चन आयोग म□निहित कर दी है ।

6.3 निवाच्चन आयोग एक □थायी सांविधानिक निकाय है । आरंभ म□, निवाच्चन आयोग म□ केवल एक मु□य निवाच्चन आयु□त होता था । वतच्चमान म□, इसम□ मु□य निवाच्चन आयु□त और दो निवाच्चन आयु□त ह□। 16 अ□तूबर, 1989 को पहली बार, दो अतिरि□त निवाच्चन आयु□त नियु□त किए गए थे किंतु उनका 1 जनवरी, 1990 तक का अ□प कायच्चकाल था । बाद म□, 1 अ□तूबर, 1993 को दो अतिरि□त निवाच्चन आयु□त□ की नियु□ित की गइ□ थी । उसी समय से, बहुसद□यीय निवाच्चन आयोग कायच्चत है ।

6.4 निवाच्चन आयोग का, संस□ और रा□य विधान-मंडल□ के निवाच्चन□ के निबाच्च संचालन से संबंधित काय□के लिए उसका □वतं□ सचिवालय है । शासकीय □वीकृतियां देने के लिए नोडल विभाग के □प म□काय□ को विधायी विभाग को □य□त किया गया है ।

6.5 विधायी विभाग, लोक सभा साधारण निवाच्चन, निवाच्चक नामावलिय□ को तैयार करने और उनके मु□ण, संस□ (रा□य सभा) के निवाच्चन के संचालन के लिए □भार□ मतदाताओं को फोटो पहचान प□ जारी करने और इलै□□ानिक वोटिंग मशीन□ (इवीएम) पर □यय तथा रा□□पतीय और उपरा□□पतीय निवाच्चन□ पर □यय के म□दे विधान-मंडल वाले रा?य/संघ रा?य?`?? ?वारा उपगत ?यय का परिनिधारण करने के लिए उ?तरदायी है । वि?तीय वष?2014-15 के दौरान लोक सभा साधारण निवाच्चन 2014 से संबंधित □यय□ को पूरा करने के लिए रा□य/संघ रा□य□`□□ को अनंतिम □प से 350 करोड़ □0 की रकम जारी की गई ।

6.6 निवाच्चन आयोग की सिफारिश□ के आधार पर, ऐसे निवाच्चन □यय की ऊपरी सीमा को बढ़ाने के लिए, जो लोक सभा और विधान सभाओं के निवाच्चन म□ किसी अ□यथ□ □वारा उपगत किया जा सकता है, अधिसूचना सं0 का.आ.603(अ), तारीख

28.02.2014 वारा निवाचन का संचालन नियम, 1961 का संशोधन किया गया था ।

6.7 जैसा निवाचन आयोग वारा उसके प सं या 287/84/2013-था.1/216 तारीख 04.07.2014 वारा सूचित किया गया है, 2014 म भारत म सारित मतदाता फोटो पहचान प (ईपीआईसी) म 98.03% पुनरी ण के साथ पया त प से सुधार किया गया है ।

6.8 कीमत पर ामण समिति वारा कीमत नियत करने के अधीन रहते हुए, 2013 म 545.36 करोड़ पए की अनंतिम कीमत पर 382876 बैलट यूनिट (बीयू) और 251651 कं ोल यूनिट खरीदी गई ह।

6.9 निवाचन आयोग को मतदान म अधिक पारदशिता थापित करने के लिए ईवीएम से जोड़ने हेतु एक ोटोटाइप िंटर अथात् वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ेल (वीवीपीएटी) का उपयोग करने म समथ बनाने के लिए अधिसूचना सं0 का.आ.2470(अ) तारीख 14 अग त, 2013 वारा निवाचन का संचालन नियम, 1961 का संशोधन किया गया ।

6.10 1 माच 2014 तक यथासंशोधित विभाषीय निवाचन विधि निदेशिका (2014) येक नागरिक, निवाचन लड़ने वाले अ यथिय, संस रा य विधान मंडल के सद य तथा राजनैतिक दल की सहायता के लिए एक ही थान पर निवाचन से संबंधित संपूण विधि को रखने के लिए दो जि द म काशित की गई है ।

7. **हि?दी और अ?य ?`?ीय भाषाओं का संवधन और ?सार**

7.1 अधिनियम, अ यादेश, विनियम, नियम आदि के ाधिकृत पाठ का हि दी अनुवाद विधायी विभाग के राजभाषा खंड वारा किया जाता है । इसके अतिरि त, विधेयक को संस के दोन सदन म अं`जी और हि दी म पुर: थापित करना अपे ि त है । विभि न मं ालय/विभाग से संबंधित संपूण अधीन थ विधायन का हि दी अनुवाद विधायी विभाग के राजभाषा खंड वारा तैयार किया जाता है ।

7.2 राजभाषा खंड हि दी म विधि श दावली के काशन के लिए उ तरदायी है । अंतिम बार हि दी म विधि श दावली वष 2001 म काशित की गइ थी । विधायी विभाग 65000 श द वाली पुनरीि त विधि श दावली तैयार करने की ि या म है । इसके अतिरि त, भारत के संविधान म अनेक संशोधन हो चुके ह। विधायी विभाग भारत के संविधान के पुनरीि त अ यतन जेबी सं करण तैयार करने की ि या म है ।

7.3 विधायी विभाग का राजभाषा खंड संविधान की आठवीं अनुसूची म□□ति□ठापित 22 भाषाओं म□ से 11 □`□ीय भाषाओं म□, जिसके अंतगत□ ज□मू-क□मीर रा□य की राजभाषा उद□ू भी है, के□□ीय अधिनियम□ का अनुवाद करने के लिए रा□य□ को सहायता □दान कर रहा है ।

7.4 विधि के □`□ म□संविधान की आठवीं अनुसूची म□वर्णित□ राजभाषाओं के संवर्धन□ के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खंड □वारा विभि□न रजि□□ीकृत □वै□ि□छक संगठन□ को अनुदान के □प म□वि□तीय सहायता □दान की जाती है । □कीम के □यौरे **<u>उपाबंध-4</u>** म□देखे जा सकते ह□।

7.5 विधायी विभाग का विधि साहि□य □काशन हि□दी म□मूल □प से □काशित या लिखित सव□□तम विधि पु□तक□ (मै□युल और रैफरन□स के सिवाय) को □□येक वष□ 5,00,000/-□0 तक का पु□□कार देता है ।

अ□याय 2

उपल□धियां

8. **<u>विधायी विभाग की मह?वपूण?उपल?धियां</u>**

8.1 1 जनू, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान विधायी विभाग ने नि?नलिखित 24 मह□वपूण□विधेयक□ का □ा□पण किया, जो संस? ?वारा अधिनियमित किए गए ।

? 0 **सं**0	**नाम और अधिनियम सं?यांक**
1.	रा??ीय डिजाइन सं?थान अधिनियम, 2014 (2014 **का** 18)
2.	आं? ?देश पुनगठन (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 19)
3.	भारतीय दरूसंचार विनियामक ?ाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 20)
4.	विनियोग (रेल) सं?यांक 2 अधिनियम, 2014 (2014 **का** 21)
5.	विनियोग (रेल) सं?यांक 3 अधिनियम, 2014 (2014 **का** 22)
6.	विनियोग (सं?यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 23)
7.	विनियोग (सं?यांक 3) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 24)
8.	वि? (सं?यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 25)
9.	दि?ली विनियोग (सं?यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 26)
10.	?तिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 27)
11.	दि?ली विशेष पुलिस ?थापन (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 28)
12.	शि?ु (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 29)
13.	भारतीय सचूना ?ौ?योगिकी सं?थान अधिनियम, 2014 (2014 **का** 30)
14.	वाणि□य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 31)
15.	वाणि□य पोत परिवहन (दसूरा संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 32)
16.	?म विधि (विवरणी देने और रजि?टर रखने से कतिपय ?थापन; को छटू) संशोधन और ?कीण?उपबंध अधिनियम, 2014 (2014 **का** 33)
17.	संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 **का**

	34)
18.	क?ीय वि?ववि?यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 35)
19.	कपड़ा उप? म (रा??ीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमा?यकरण) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 36)
20.	योजना और वा?तुकला वि?यालय अधिनियम, 2014 (2014 **का** 37)
21.	विनियोग (सं? यांक 4) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 38)
22.	दिली राीय राजधानी राय` विधि (विशेष उपबंध) दसूरा (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 **का** 39)
23.	संविधान (नियानववां संशोधन) अधिनियम, 2014
24.	राीय यायिक नियुत आयोग अधिनियम, 2014 (2014 **का** 40)

8.2 संविधान के अनु?छेद 123 के अधीन नि?नलिखित अ?यादेश ??यापित किए गए :

? 0 **सं**0	**नाम और अ?यादेश सं? यांक**
1.	भारतीय दरूसंचार विनियामक ?ाधिकरण (संशोधन) **अ**?**यादेश**, 2014 (2014 **का** 3)
2.	आं? ?देश पुनगठन (संशोधन) **अ**?**यादेश**, 2014 (2014 **का** 4)
3.	कोयला खान (विशेष उपबंध) **अ**?**यादेश**, 2014 (2014 **का** 5)
4.	कपड़ा उप? म (रा??ीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमा?यकरण) **अ**?**यादेश**, 2014 (2014 **का** 6)
5.	कोयला खान (विशेष उपबंध) दसूरा संशोधन **अ**?**यादेश**, 2014 (2014 **का** 7)
6.	बीमा विधि (संशोधन) **अ**?**यादेश**, 2014 (2014 **का** 8)
7.	भूमि अजन, पुनवासन और पुनयवथापन म उचित तिकर और पारदशिता का अधिकार (संशोधन) **अ**?**यादेश**, 2014 (2014 **का** 9)

8.3 रापति की अनुमति की ईसा से निनलिखित अयादेश संबंधित विभाग/मंालय को दिए गए:

1.	मा□य□थम् और सलुह (संशोधन) अ?यादेश, 2014
2.	नागरिकता (संशोधन) अ?यादेश, 2014
3.	मोटर यान (संशोधन) अ?यादेश, 2014
4.	सरकारी ?थान (अ?ाधिकृत अधिभोगिय: की बेदखली) संशोधन अ?यादेश, 2014

8.4 विभाग □वारा नि□नलिखित मह□वपूण□ विधेयक□ का □ा□पण किया गया, जो संस? म?लंबित ह?:

? 0सं0	**नाम**
1.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2014 (36 अधिनियम□ का निरसन करना)
2.	निरसन और संशोधन (दसूरा) विधेयक, 2014 (90 अधिनियम□ का निरसन करना)
3.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अ?याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014
4.	रेल (संशोधन) विधेयक, 2014
5.	कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014
6.	किशोर ?याय (बालक□ की देखरेख और संर□ण) संशोधन विधेयक, 2014
7.	संदाय और निपटान ?णाली (संशोधन) विधेयक, 2014
8.	यान-हरण निवारण विधेयक, 2014
9.	?ादेशिक ?ाीण बक़ (संशोधन) विधेयक, 2014
10.	लोकपाल और लोकायु?त तथा अ?य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014
11.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014
12.	वि?युत (संशोधन) विधेयक, 2014
13.	संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014

8.5 इस विभाग ने रा□□पति की अनुमति के लिए रा□य□ के रा□यपाल □वारा आर□ित समवत□ विषय□ से संबंधित 23 रा□य विधेयक□/अ□यादेश□ की संवी□ा की ।

9. **<u>अप्रचलित विधियों का निरसन</u>**

9.1 विधायी विभाग ने, सरकारी संकल्प के रूप में, अप्रचलित और अनावश्यक विधियों के निरसन के लिए पहचान करने की पहल की और क्रमशः 36 और 90 अधिनियमों के निरसन के लिए संसद में दो विधेयक पुरःस्थापित किए । इस संकल्प के पीछे उद्देश्य यह है कि देश के नागरिकों से उनके ऐसे कानूनों से सुपरिचित होने की प्रत्याशा की जाए जो उनके जीवन और कार्य से ससुंगत हों और विधियों का देश की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थिति के साथ सामंजस्य भी बना रहे ।

9.2 विभाग द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से 197 संशोधन अधिनियमों की, उनके निरसन हेतु परीक्षा की जा रही है ।

9.3 विभाग ने "अप्रचलित विधि : तत्काल निरसन के लिए समर्थित" से संबंधित विधि आयोग की चौथी अंतरिम रिपोर्ट (248 से 251 तक) को, जिसमें उसने क्रमशः 72, 113, 74 और 30 अप्रचलित अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की थी, प्रतियागत किया है ।

9.4 विभाग ने रेल विनियोग अधिनियमों और राज्य विनियोग अधिनियमों सहित 902 विनियोग अधिनियमों की एक सूची तैयार की है और राज्य विनियोग अधिनियमों के निरसन पर विद्वान महाधिवक्ता की राय की ईप्सा की है ।

9.5 विभाग रामानुजम समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है । विभाग ने अधिनियमितियों की पहचान करने के लिए अधिकारियों के एक समर्पित समूह का गठन किया है और उन्होंने मोटे तौर पर अधिनियमितियों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया है :

- (i) संसद द्वारा निरसित किए जाने वाले 637 अधिनियम ;
- (ii) राज्य विधान मंडलो द्वारा निरसित किए जाने वाले 84 अधिनियम ;
- (iii) राज्य सरकारों के परामर्श से संसद द्वारा निरसित किए जाने वाले 58 अधिनियम ; और
- (iv) गृह मंत्रालय के परामर्श से राज्य पुनर्गठन से संबंधित 28 अधिनियम ।

10. **<u>पूव?विधायी परामश□नीति</u>**

10.1 नीति और विधान के विरचन म□लोग□ के □ति जवाबदेही सुनि□चित करने के लिए, विधायी विभाग ने पूव□विधायी परामश□ पर एक नीति विरचित की है । इस नीति म□ ऐसे टि□पण□/सुझाव□ के लिए □□तावित विधान□ को सावज□निक परिपे□ म□ रखना अपे□ित है जिसम□नि□नलिखित अंतवि□ट होगा :

(i) विधान के लिए □यायोचि□यता ;

(ii) ऐसे विधान □यापक वि□तीय विव□ा ;

(iii) पयाव□रण, मूल अधिकार□ आदि पर ऐसे विधान के □भाव का □ा□कलित निधाव□ण ।

10.2 इस □ि□या म□ किसी विधान को तैयार करने से पूव□ सामाजिक और वि□तीय लागत□ फायद□ और मु□य चुनौतिय□ का अ□ययन अंतवलि□त है । इस नीति के □यौरे विधायी विभाग की वेबसाइट पर उपल□ध ह□।

11. **<u>विधायी □□ताव□ के निपटारे के लिए समय सीमा</u>**

विधायी □□ताव□ के निपटार□ के लिए नि□नलिखित समय सीमा अधिकथित की गई है :

मु□य विधान:

विधेयक□ का □वग	खंड□ की सं□या	नियत समय विरचना (□ा□ित की तारीख से)
लघु विधेयक	25 खंड□ से कम	30 दिन के भीतर
म□यम विधेयक	25 खंड से अधिक और 50 खंड से कम	45 दिन के भीतर
वि□तृत विधेयक	50 खंड□ से अधिक	60 दिन के भीतर

अधीन□थ विधान:

□□ताव का □वग	**नियत समय सीमा (□ा□ित की तारीख से)**
स□म □ाधिकारी के अनुमोदन के बिना भेजी गई अपूण□ फाइल□ ; राजप□ अधिसूचनाओं की अ□यतन □तिय□ और प□□ को संल□न नहीं करना ; या □ा□पण मु□द□ को तय करने के लिए और जानकारी/चचा□	उसम□ कमी या अपे□ित जानकारी को दशि□त करते हुए एक टि□पण लेखब□ध करके 3 कायद□िवस□ के भीतर वापस करना ।

की अपेक्षा ।	
जहां और जानकारी/दस्तावेज अपेक्षित नहीं है ।	कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए अंतर्वलित संवीक्षा तथा विधीक्षा दो सप्ताह की अवधि के भीतर की जाए ।
नियम/विनियम/उपविधि आदि अंतर्विष्ट करने वाले प्रस्ताव ।	तीन सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाए (तीन सप्ताह से अधिक समय की अपेक्षा वाले किसी प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए निरपवाद रूप से अपर सचिव को दिखाया जाए)

12. <u>स्वच्छता अभियान</u>

(i) स्वच्छ भारत अभियान के भाग रूप में विधायी विभाग के परिसर में स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है । माननीय विधि और न्याय मंत्री ने शास्त्री भवन परिसर में चार पौधे रोपित करके तथा परिसर की सफाई करके अभियान का शुभारंभ किया ।

(ii) पुराने अभिलेखों का निपटान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया और इन अभिलेखों को बनाए रखने की अवधि के अवसान पर 4670 फाइलों/अभिलेखों का निपटान किया गया । इसके अतिरिक्त बनाए रखने के लिए 1095 फाइलें/अभिलेख बद्ध की गईं ।

(iii) विधायी विभाग में कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ रखने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है ।

13. <u>प्ररूपों का सरलीकरण</u>

(i) विधायी विभाग में प्रचलित प्ररूपों को सरल बनाया गया है तथा इनमें से अधिकतर प्ररूपों को घटाकर केवल एक पृष्ठ का कर दिया गया है जिसमें केवल आवश्यक ब्यौरे अपेक्षित हैं जैसे इंटर्नशिप प्ररूप, विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों से संबंधित प्ररूप, राजभाषा खंड द्वारा वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए प्ररूप ।

अध्याय -3

आगामी कार्ययोजना

14. <u>विधायी विभाग की भावी कार्ययोजना</u>

14.1. विभिन्न मंत्रालयों /विभागों से निम्नलिखित विधायी प्रस्तावों से संबंधित विधेयक तैयार किए गए है और संसद में उनके पुर:स्थापन के लिए प्रक्रिया की जाएगी ।

1. राष्ट्रीय फिल्म टेलीविजन और सहबद्ध अध्ययन संस्थान विधेयक, 2014
2. सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का संशोधन
3. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014
4. सेवा और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2014
5. अन्तर-राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का संशोधन
6. रेल (संशोधन) विधेयक, 2014
7. विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2014
8. नई चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता विधेयक, 2014
9. भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2014
10. संसद, सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का संशोधन
11. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 का संशोधन
12. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014
13. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2014

14.2 विभाग ने राज्य सभा में लंबित असम विधान परिषद विधेयक, 2013 और तमिलनाडु विधान परिषद् (निरसन) विधेयक, 2012 को आगे बढाने के प्रस्ताव पर प्रक्रिया आरंभ कर दी है ।

14.3. औसतन, विधायी विभाग को प्रत्येक मास लगभग 230 अधीनस्थ विधान प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जिनकी संवीक्षा और विधीक्षा समयबद्ध रीति से और कई बार उसी दिन ही कर दी जाती है ।

14.4. वर्तमान में, संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विषयों पर विधि आयोग की 36 रिपोर्टों की राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके समीक्षा की जा रही है ।

14.5. विधायी विभाग की वेबसाइट पर के□ीय अधिनियम□ को अपलोड करने की □ि□ या, 1996 म□आरंभ हुई थी जबकि प□च□वतं□ता युग के सभी अधिनियम अथात् 1950 से आगे के, वेबसाइट पर डाल दिए गए थे । त□प□चात,् वष□2012 म□ पूव□ □वतं□ता युग अथात्, 1836 से 1950 तक के सभी 350 अधिनियम, वेबसाइट पर डाल दिए गए थे । विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उपल□ध कराई गई विधिय□ को अ□यतन करने के लिए पहल की है ।

14.6. विभाग, निवाचन विधिय□ और निवाचन आयोग के लिए □शासनिक □प से जि□मेदार है । निवाचन सुधार□ पर विधि आयोग की रिपोट□□ा□त हो जाने पर, सभी पणधारिय□ और राजनैतिक दल□ के साथ परामश□ करके □□ताव की पूविक्ता के आधार पर समी□ा की जाएगी ।

14.7. विभाग, निवाचन विधिय□ से संबंधित उ□चतम □यायालय और विभि□न उ□च □यायालय□ म□1 अ□तूबर, 2014 तक लंबित 218 मामल□ को □भावी □प से मानीटर कर रहा है । इन 218 मामल□ म□से, विभाग, 137 मामल□ म□□□यथ□ है और शेष 81 मामल□ म□□ोफामा□प□ कार है ।

उपाबंध -1

विधायी विभाग म□विधायी परामश□

पद नाम	**□वीकृत सं□या**	**पद□थ**	**रि□त**
सचिव	1	1	-
अपर सचिव	2	1	1
संयु?त और विधायी परामश?	5	4	1
अपर विधायी परामश?	4	4	-
उप विधायी परामश□	9	6	3
सहायक विधायी परामश□	13	8	5
कुल	**34**	**24**	**10**

विधायी विभाग, जिसके अ□तगत राजभाषा खंड और विधि साहि□य □काशान भी है, की समूह वार कमचारिवृंद की □थिति

समूह	**□वीकृत पद सं□या**	**पद□थ □य□ित**	**रि□तियां**
समहू 'क'	89	62	27
समहू 'ख'	158	98	60
समहू 'ग'	189	135	54
कुल	436	295	141

खंड वार विधायी विभाग की समूहवार कर्मचारिवृंद की स्थिति

समूह	स्वीकृत पद संख्या	पदस्थ व्यक्ति	रिक्तियां
समूह 'क' वि.वि. (मुख्य)	47	32	15
समूह 'क' रा.भा. खंड	29	22	7
समूह 'क' वि.सा.प्र.	13	8	5
कुल : समूह 'क'	**89**	**62**	**27**
समूह 'ख' वि.वि. (मुख्य)	89	52	37
समूह 'ख' रा.भा. खंड	38	26	12
समूह 'ख' वि.सा.प्र.	31	20	11
कुल : समूह 'ख'	**158**	**98**	**60**
समूह 'ग' वि.वि. (मुख्य)	97	65	32
समूह 'ग' रा.भा. खंड	56	40	16
समूह 'ग' वि.सा.प्र.	36	30	6
कुल : समूह 'ग'	**189**	**135**	**54**

चाट -1

1989 से 2014 तक बुनियादि पाठय म म भाग लेने वाले अधिकारी

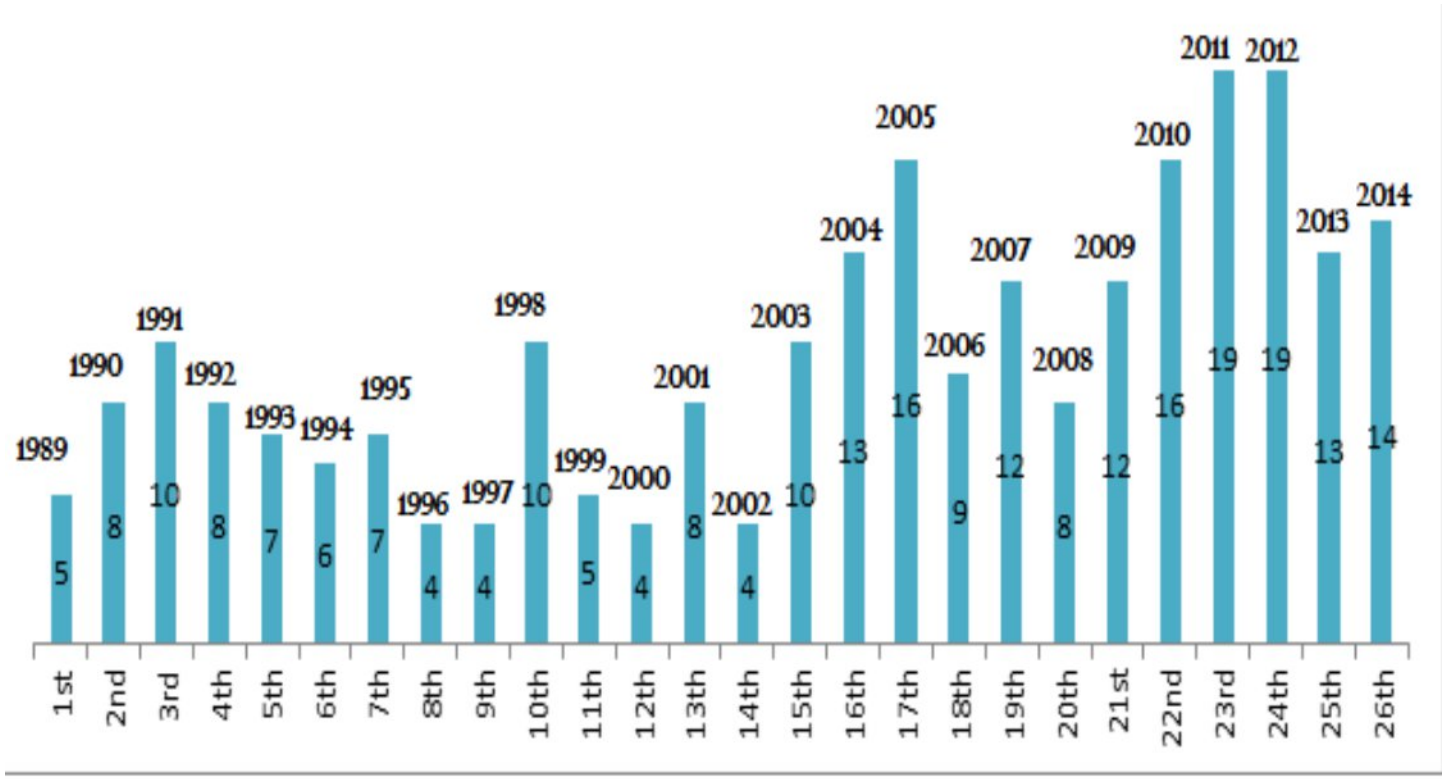

चाट - 2

1989 से 2014 तक मूल्यांकन पाठय म म भाग लेने वाले अधिकारी

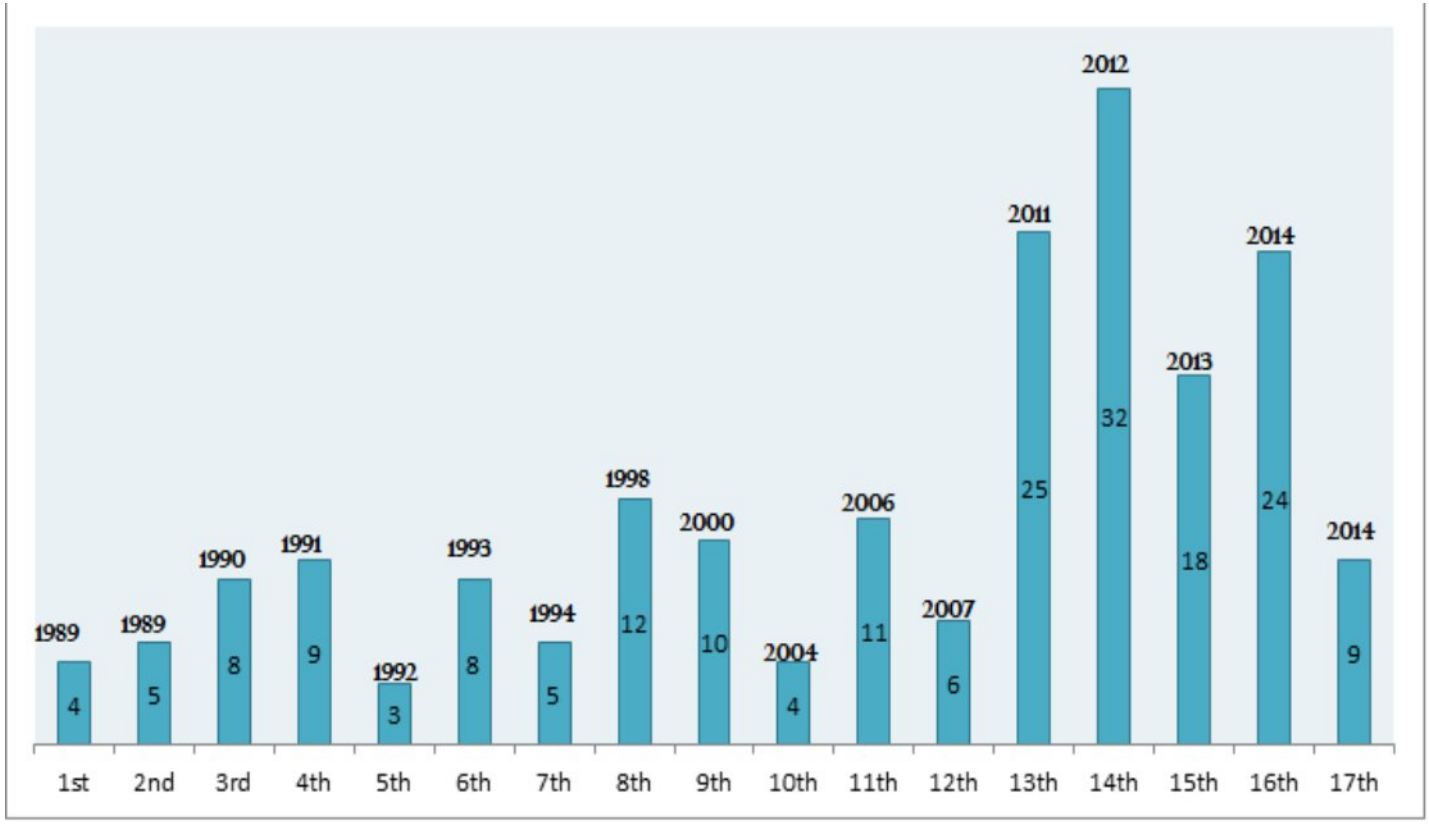

उपाबंध - 4

राजभाषा खंड
विधायी विभाग
विधि और ?याय मं?ालय

विधि के ?े? म?राजभाषा की उ?नति के लिए ?वैि?छक संगठन? को सहायता

□ारंभिक । 1. भारत सरकार, विधायी विभाग ने विधि के ?े? म? संघ की राजभाषा और रा?य? की राजभाषाओं के ?चार और विकास के लिए ?वैि?छक संगठन? को वि?ीय सहायता देने की एक ?कीम बनाई है ।

संि?प्त नाम । 2. इस ?कीम का नाम "विधि के ?े? म? संघ की राजभाषा और रा?य? की राजभाषाओं" की उ?नति के लिए ?कीम है ।

?विषय । 3. अनुदान विधि के ?े? म? हि?दी तथा अ?य ?ादेशिक भाषाओं म? साहि?य के विकास और ?चार के लिए परियोजनाओं या कायक्रलाप? के लिए अनु?ेय ह?गे । ये विधिक विषय? पर ??तावित टीकाओं, ?ंथ?, वि?वतापूण? पु?तक?, विधि पि?काओं, विधि सार सं? ह? और ऐसे अ?य ?काशन? के ?प म? हो सक?गे जो विधि के ?े? म? हि?दी और रा?य? की राजभाषाओं की अनुवृ?धि, ?चार, विकास और ?योग के लिए सहायक ह? ।

सहायता के लिए आवेदन? पर विचार करने के लिए एक उ?चाधिकार ?ा?त समिति गठित की जाएगी । समिति नि?नलिखित ?वग? के ?यि?तय? से मिलकर बनेगी-

1. उ□च □यायालय का सेवानिवृ□ या पदासीन □यायाधीश,

2. अधिव?ता, जो विधि? ? म??ति?ठित हो,

3. किसी वि□ववि□यालय के विधि संकाय म□विधि का आचाय□(?ोफेसर)

4. संयु?त सचिव, राजभाषा खंड

संयु?त सचिव समिति का सचिव होगा । नियु?त किए जाने वाले ?यि?त, केवल ऐसे ?यि?त ह?गे जि?ह?विधि के ?ान के अतिरि?त संबंधित भाषा का भी अ?छा ?ान हो ।

समिति संबंधित संगठन को ?कीम म?उपयु?त परिवतन या उपांतरण करने का परामश?भी दे सकेगी ।

सहायता की मा?ा ।

4. वि□ीय सहायता के लिए सभी निवेदन विहित □□प मा संयु□त सचिव और विधायी परामश□ राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और ?याय मं?ालय, कमरा सं. 742, 7वां तल, 'ए' विंग, शा□□ी भवन, नई दि?ली को भेजे जाएंगे । वि?ीय सहायता के लिए सभी निवेदन? पर गछुागछु के आधार पर विचार किया जाएगा और अनदुान केवल अनुमोदित काय?मद□ के लिए मंजरू किए जांएगे । मंजरू किया गया अनदुान विभि□न परियोजनाओं/कायक्रलाप/□योजन□ आदि के काया□वयन म□ होने वाले □□याशित शु□ध □यय के □तिशत के 85 □तिशत से अधिक नहीं होगा ।

टि□पणः- "□□याशित शु□ध □यय" से उ□पादित साहि□य के विकास से □□याशित □ाि□तय□ को घटाने के प□चात् क्लु □□याशित □यय अभि□ेत अनुदान□ का संदाय किए जाने वाले कायक्रलाप□ की □कृति और काय□ की □गति के आधार पर और कि□त□ म□किया जाएगा ।

आवेदन □□तुत करने की □ि□ या ।

5. आवेदन विहित ??प म संयु?त सचिव और विधायी परामश, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, करने की विधि और ?याय मं?ालय,

कमरा सं. 742, 7वां तल, ‘ए’ विंग, शा□□ी भवन, नई दि?ली-110001 को भेजे जाएं । ??येक आवेदन के साथ नि?नलिखित जानकारी और द?तावेज ह?गे-

(i) संगठन के उ□दे□य□ और कायकलाप□ का सं□ □त विवरण,

(ii) संगठन रजि??ीकृत संगठन है या नहीं,

(iii) अंतिम उपल?ध वाषिक रिपोट?

(iv) पिछले एक वि?ीय वष?के लिए संगठन के लेखा परी?ित लेखाओं की एक ?ति और अंतिम तुलनप? की एक ?ति,

(v) □बंध मंडल के शासी निकाय का गठन,

(vi) उस वष?की बाबत आय और ?यय का ?ा?कलन जिसके लिए आवेदन गया है,

(vii) रा□य सरकार या अ□य निकाय□ से अब तक □ा□त अनुदान□ का विवरण, □□येक मामले म□यह उपदशित किया जाए कि (क) वह ?योजन ?या था जिसके लिए अनदुान ?ा?त किया गया था, (ख) उसका कैसे और कब उपयोग किया गया, (ग) उस दिशा म??या ?गति हई जिसके लिए सहायता दी गई थी, और (घ) □या पूवव्तत□ सहायता से संल□न सभी शत□ का स□यक □प से पालन किया गया था,

(viii) विचाराधीन □कीम□ के वा□ते अनुदान□ के लिए अ□य रा□य सरकार□ या निकाय□ को, यदि कोई ह? किए गए निवेदन से संबंधित जानकारी, उन सरकार? और निकाय? के ऐसे निवेदन? पर विनि?चय संसूचित किए

जाने चाहिए,

(ix) यह वचनबंध कि एक बार किसी परियोजना/?कीम आदि के ?ा?कलन आदि यु?तियु?त मानक अनुमोदित कर दिए जाने और उन ?ा?कलन? के आधार पर अनदुान निधारि्त किए जाने पर संगठन, विधायी विभाग के पूव?अनमुोदन के बिना, उनमउपांतरण नहीं करेगा,

(x) ाकलित यय का पूणऔचिय,

(xi) नई ?काशित कृतिय? के लिए निवेदन की दशा म?पांडुलिपि की ?ति, लेखक के ऐसे ?माणप? के साथ जिसम?सं?था को ?काशन हाथ म? लेने के लिए ?ाधिकृत किया गया हो, जांच के लिए दी जाए,

(xii) पहले आवेदन के साथ सं?थाओं के पूववत? ?काशन भेजे जाने चाहिए और प?चात् वत? निवेदन? की दशा म? वे ?काशन भेजे जाने चाहिए जो अंतरिम अवधि के दौरान ?काशित किए गए ह?,

(xiii) अनुदान की सहायता से हाथ मली जाने वाली परियोजना कीम आदि पर नियोजित कमचारिय की अहताओं, अनभुव का विवरण ।

6. संगठन के लिए मंजरू किए गए अनदुान निनलिखित शत के अधीन हगे:-

(1) विधायी विभाग, विधि और ?याय मं?ालय का कोई अधिकारी या भारतीय लेखा-परीा और लेखा विभाग का कोई अधिकारी वियीय सहायता ात करने वाले संगठन का निरीण कर सकेगा ।

(2) संगठन अनदुान का धन ?ा?त करने से पूव? यह बचनबंध करेगा कि उसकी सहायता से चलाई जाने वाली परियोजना या ?कीम सरकार ?वारा नियत यु?तियु?त

समय के भीतर पूरी की जाएगी और अनदुान का उपयोग केवल उस ?योजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह मंजरू किया गया है । ऐसा करने म? असफल रहने पर सगंठन अनदुान की पूरी रकम, उस पर ?याज सहित जो के??ीय सरकार ?वारा विनि?चित किया जाए, सरकार को वापस करने का दायी होगा ।

(3) कि□त□ म□ संदेय अनदुान की किसी प□चात् वत□ कि□त का संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पूवव□त□ कि□त के अधिकांश भाग का उपयोग न कर लिया गया हो और लेखा-परीि□त लेखाओं का विवरण, पूवव□त□ कि□त की सहायता से किए गए काय□ की रिपोट□ सहित, कि□त जारी करने के निवेदन के साथ न दिया गया हो, □य□कि उसका उ□मोचन केवल तभी किया जाएगा जब काय□ की समाधान□द □गति के बारे म□ विधायी विभाग का समाधान हो जाएगा ।

(4) के□□ीय सहायता से निकाले गए सभी □काशन□ की उतनी □तियां, जो पांच से अधिक नहीं ह?गी जिनका विनि?चय विधायी विभाग करे, विधायी विभाग को नःशु?क ?द? की जाएंगी ।

(5) संगठन के??ीय सरकार ?वारा दिए गए अनदुान की सहायता पूणत□ः या सारतः अजित□ या सृजित आि?तय? का लेखा-परीि□त अभिलेख विहित □पफाम□ म□ देगा और उसकी □ति विनिदि□□ट तारीख तक या यिु□तयु□त समय के भीतर अभिलेख के लिए विधायी विभाग को देगा । इस □कार की आि□तय□ का □ययन, वि□लंगम या उपयोग, विधायी विभाग के पूव? अनमु ोदन के बिना उन ?योजन? से भि?न ?योजन? के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिनके लिए अनदुान दिया गया है ।

(6) संगठन के लेखाओं को समुचित ?प से रखा जाना चाहिए और जब कभी अपे?ा की जाए, □□तुत किया जाना चाहिए । इन लेखाओं की विधायी विभाग कभी भी

जांच कर सकेगा ।

(7) संगठन पूववत? वष?के दौरान इस ?कीम के अधीन संगठन ?वारा ?ा?त ??येक अनदुान की बाबत एक उपयोगिता ?माणप? ??तुत करेगा ।

(8) जब विधायी विभाग के पास यह वि?वास करने का कारण हो कि संगठन के कायकलाप? का ?बंध समुचित ?प से नहीं किया जा रहा है या कि मंजरू किए गए धन का उपयोग अनुमोदित ?योजन? के लिए नहीं किया जा रहा है तब अनदुान का संदाय रोका जा सकेगा ।

(9) पु□तक का लेखक साधारणतः, यथा?थिति, के□□ीय अधिनियम□ या रा□य अधिनियम□ के □ाधिकृत हिंदी पाठ□ म□□यु□त हिंदी की विधि श□दावली का □योग करेगा । पु□तक म□समान या सम□प पद□ के लिए राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और ?याय मं?ालय ?वारा ?काशित विधि श?दावली म? दिए गए हिंदी के विधिक श?द? का ?योग किया जाएगा । जहां अधिनियमितिय? के पाठ? को उ?धृत किया जाना है वहां, यथा?थिति, के□□ीय अधिनियम या रा□य अधिनियम□ के हिंदी पाठ□ म□□यु□त श□द□ का यथावत□्योग किया जाना चाहिए । निणय□ के □ति निदश और उनसे उ□धरण□ को, यथासंभव दो हिंदी विधि रिपोट?, अथात “उ□चतम □यायालय निणय प□िका” और “उ□च □यायालय निणय प□िका” से लिया जाएगा, जो विधि साहि?य ?काशन ?वारा ?काशित की जाती ह?। ये अनदेुश हिंदी से भि?न राजभाषाओं के संबंध म? भी, यथा आव?यक परिवतन सहित, लागहूग?े ।

(10) संगठन पर यह आब?धकर होगा कि वह उस काय?के संबंध म? जिसके लिए अनदुान मंजरू किया गया है, विधायी विभाग □वारा दिए गए अनुदेश□ और सुझाव□ को कायाि□वत करे । संगठन विधायी विभाग को किसी विषय पर ऐसी जानकारी और

□प□टीकरण, विभाग □वारा विनिदि□ट समय के भीतर देगा, जिसकी विधायी विभाग □वारा अपे□ा की जाए ।